निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक 1937 (श0)

(सं0 पटना 1240) पटना, वृहस्पतिवार, 29 अक्तूबर 2015

सं0 के0/कारा/रा0प0–29/2008—6367
गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग

संकल्प

15 अक्तूबर 2015

श्री नागेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बंदी विपत राय द्वारा दिनांक 07.08.2006 को कोर्ट हाजत में आग लगाकर आत्महत्या के प्रयास तथा अन्य कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या–10622 दिनांक 03.11.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी।

2. आरोपित पदाधिकारी, श्री कुमार के विरूद्ध गठित तीन आरोपों का सार निम्नवत् है :–

(i) शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संसीमित बंदी, विपत राय द्वारा दिनांक 07.08.2006 को कोर्ट हाजत में आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। जाँच के क्रम में विपत राय द्वारा मौखिक बयान दिया गया कि कैदियों से वार्ड आवंटन हेतु पैसा की माँग की गयी थी तथा पैसा नहीं देने पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा दूसरे बंदियों के सहयोग से उन्हें सेल से निकालकर मार–पीट की गई, जो भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन देना एवं दिये निदेशों का उल्लंघन है।

(ii) बंदी द्वारा मौखिक रूप से बयान दिया कि बंदियों को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यानों की आपूर्ति की जाती थी ताकि आपूर्ति खाद्यान सामग्रियों की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर की थी, जो वित्तीय अनियमितता का परिचायक है।

(iii) बंदी, विपत राय द्वारा आत्महत्या करने हेतु किरासन तेल तथा माचिस, बंदी द्वारा कारा से ही अपने साथ ले जाया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि बंदी को कारा से न्यायालय ले जाते समय कारा के गेट पर गहन तलाशी नहीं करायी जाती है, जो लापरवाही एवं समय–समय पर दिये गये निदेर्शो की अवहेलना का परिचायक है।

3. संचालन पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 987 दिनांक 03.07.2014 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित पहले एवं दूसरे आरोप अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित पाया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के प्रावधानों के आलोक में विभागीय पत्रांक 6710 दिनांक 26.12.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी थी। उक्त प्रेषित पत्र बिना

तामिला हुए वापस आ गया। तदोपरांत श्री कुमार के स्थायी पते पर पुनः विभागीय पत्रांक 445 दिनांक 19.01.2015 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा भेजी गयी, किन्तु उक्त पत्र भी वापस आ गया। फलतः दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2015 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को अपना द्वितीय कारण पृच्छा जबाव समर्पित करने का एक अवसर दिया गया, किन्तु श्री कुमार के द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (बी) सह पठित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत् श्री कुमार के विरूद्ध निम्न दण्ड संसूचित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

'' पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती ''

6. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2201 दिनांक 08.04.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक 1686 दिनांक 29.09.2015 द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री नागेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

'' पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती ''

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1240-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in